फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

रामेश्वर बनाम अकरम वगै.

प्रार्थना पत्र संख्या 19./2021

15–02–2021 प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री दीपचन्द महावर ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ़ मे स्थिति भूमि खसरा नं. 382 रकबा 1.2600 हैक्टेयर में खसरा नं. 381 की आड में प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करें, सीमा में किसी प्रकार से फेरबदल नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें, तथा किसी प्रकार से निर्माण कार्य की सामग्री मौके पर नहीं डाले तथा सीमाओं में जबरन प्रवेश करने का प्रयास नहीं करें, एवं उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें, प्रार्थी की भूमि में उगे हरे पेडों को नहीं काटे, प्रार्थी के कृषि व उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे । उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। पत्रावली दिनांक 11/5/21 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़)

11/8/21

तलबी पेश हुए ... अ. ...
... 5/30 ...
अवकाश घोषित की गई। पूर्वानुसार पत्रावली
दिनांक 24/8/21 को पेश हो।

12/8/21 पत्रावली पेश [illegible] ते तलबी/जवाब ल प्रार्थी उप०।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/10/21 को पेश हो।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

29/10/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प (प्रतापगढ़) में पेश हुई। उभय पक्षों में राजीनामे नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/1/22 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

31/1/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/4/22 को पेश हो।

20/4/22 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. महोदय राजकार्य में व्यस्त है। तारीख पेशी दे दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 14/6/22 को पेश हो।

14/6/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/8/22 पेश हो।

18/8/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दि. 1/11/22 को पेश हो।

31/10/22 पत्रावली में प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रा.पत्र वापस दावा व T.I. प्रा.पत्र विड्रो करने हेतु प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। विड्रो प्रा.पत्र को मूल वाद में शामिल मिसल किया गया। अतः मूल वाद विड्रो किये जाने पर अब इस T.I. प्रा.पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस प्रा.पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल [illegible] बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

बनेश्वर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़